

13⁹/₂₂

पत्रावली पेश हुई वकील वादी व प्रतिवादी
को नोटिस तामील करवाने हेतु बार-बार
आवसर मिले जाने के उपरान्त भी नोटिस
तामील नहीं करवाने पर पत्रावली आदेश
9 नियम S.C.P.C के तहत खारीश की
जाती है पत्रावली केसल शुमार लेकर
नम्बर से कम की जाकर दाखील दफतर ही

सपखण्ड अधिकारी, चिडावा

सप खण्ड अधिकारी
चिडावा जिला सुन्डुनूं (राज.)

